न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **28/2018 अपील रसद**

श्री बाबूलाल टांक डीलर उचित मूल्य की दुकान भटेवर बी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी, उदयपुर मुकदमा नम्बर 107/16 रसद तारीख फैसल 21.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट 15 वर्षो से उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी का प्राधिकार पत्रधारी होकर राशन सामग्री का वितरण करता आया हैं। दिनांक 30.07.16 को दुकान का निरीक्षण किया गया। गोदाम में 165 कट्टे 82.50 क्विंटल गेहूँ, चीनी 35.250 किलो होना पाया गया। गोदाम संख्या 2 को चेक करने पर उसमें 136 कट्टे गेहूँ पाये गये जिसमें से 9 कट्टे गोदाम में संग्रहित थे इस प्रकार 127 कट्टे वाहन द्वारा खाली करना प्रमाणित हुआ। गोदाम संख्या 3 में 8 ड्रम पाये गये। जो 3 भरे हुए एवं 5 खाली थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को शर्तो की अवहेलना के मामले में नोटिस जारी

कर सेन्टर भटेवर बी की वितरण व्यवस्था शंकरलाल सालवी को दी गई। अपीलान्ट को 90 दिन के लिये निलम्बित किया गया। जो तीन माह के बाद आगे बढा दिया गया एवं अचानक दिनांक 21.05.18 को पत्रावली मंगवाकर लाईसेंस निरस्ती का आदेश पारीत कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारीत कर दिया गया। अपीलान्ट का लाईसेंस 90 दिन के लिये ही निलम्बित किया गया था। प्रकरण में 6 माह तक पत्रावली पेश ही नहीं हुई। बिना अपीलान्ट को सुचना दिये ही अचानक दिनांक 21.05.18 को आदेश पारीत कर दिया गया। इस प्रकार मर्जी मकसूद तरीके से आदेश पारीत कर दिया गया। ऐसा आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता हैं। स्पीकिंग आदेश पारीत कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा कोई गेहूॅ की कालाबाजारी नहीं की गई। किसी भी व्यक्ति को एक किलो गेहूॅ भी विक्रय नहीं किया। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कालाबाजारी करना मानते हुए जो आदेश पारीत किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अपीलान्ट ने सारा कार्य गुड फेथ में किया। उसके द्वारा कानुन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नही किया हैं। कयासी आधारो पर आदेश पारीत कर दिया गया। अपीलान्ट को कथित आदेश का ज्ञान पहली बार दिनांक 02.07.18 को हुआ। जब उसे बताया गया कि उसका लाईसेंस निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश दिया गया हैं। तो उसी समय जाकर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत आदेश दिनांक 21.05.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् मियाद कण्डोन कराने का भी प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें पारीत आदेश का ज्ञान नहीं होकर सर्वप्रथम आदेश का ज्ञान दिनांक 02.07.18 को ही होना बताया जाकर अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई हैं। अतः

न्यायहीत में दिनांक 21.05.18 से दिनांक 02.07.18 तक का समय कण्डोन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 30.07.16 को अपीलान्ट के गोदाम का ताला खोलकर निरीक्षण किया गया। गोदाम के गोदाम ए में 165 गेहूॅ के कट्टे पाये गये जिनका वजन 82.5 क्विंटल होना बताया। इसी गोदाम में एक चीनी का कट्टा जिसका वजन 35.250 किलो होना बताया। गोदाम संख्या 2 में जॉच करने पर 136 कट्टे पाये गये। जिसमें से 9 कट्टे गोदाम में ही संग्रहित थे। 127 कट्टे वाहन द्वारा खाली किये गये थे। गोदाम संख्या 3 में 8 ड्रम केरोसीन के पाये गये। जिसमें 3 ड्रम केरोसीन के भरे हुए थे व 5 ड्रम खाली थे। बाद निरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को शर्त संख्या 5, 11, 18 की अवहेलना के संबंध में एक नोटिस जारी कर दिनांक 08.09.16 की तारीख पेशी दी गई। सेन्टर की वैकल्पिक व्यवस्था शंकरलाल सालवी को दी गई। उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 90 दिन का निरस्त होने का आदेश प्रदान किया गया। निलम्बन आदेश दिनांक 04.08.16 को होने से इस मामले में कोई आगे तारीख पेशी नहीं दी गई एवं दिनांक 27.11.17 की तारीख पेशी दी गई जो बाद में बदलकर 12.12.17 की दी गई। 12.12.17 को पेशी पर फाईल नहीं निकाली गई व अचानक दिनांक 21.05.18 को पत्रावली मंगवाकर उस पर लाईसेंस निरस्ती का आदेश पारीत कर दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं जवाब का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश पारीत कर दिया गया जिसकी सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। सर्वप्रथम अपीलान्ट को इसकी जानकारी भी दिनांक 02.07.18 को हुई। जिसकी नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक संक्षिप्त आदेश पारीत कर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट द्वारा किस बात का उल्लंघन किया गया है जिसका कोई हवाला नहीं दिया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा हमेशा सारा कार्य गुडफेथ में किया गया। अपीलान्ट की लगी दुकान से किसी भी उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं की गई। अपीलान्ट द्वारा उचित मुल्य की दुकान का सामान 1 किलो भी ब्लैक में नहीं बेचा हैं। मात्र कयासी आधारो पर जो आदेश पारीत किया है वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर सेन्टर की वितरण व्यवस्था पुनः अपीलान्ट को प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट की दुकान भटेवर बी पर वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 7689 से चालान संख्या 468 दिनांक 29.07.16 से गेहूॅ थोक विक्रेता द्वारा भेजा गया। मौके पर अपीलान्ट के प्रतिनिधि द्वारा 127 कट्टे ही सेन्टर पर खाली किये गये। जिसे ग्रामीणो द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया व बिल्टि की ग्रामवासियो द्वारा जॉच करने पर पाया कि सेन्टर पर गेहूॅ 278 कट्टे दर्ज होना पाया गया हैं। ग्राम वासियो द्वारा वाहन चालक से पूछने पर उसके द्वारा बताया कि शेष गेहूॅ जोर जी का खेड़ा में बड़ी नहर के पास स्थित देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली किये गये हैं। जिसकी सूचना ग्रामवासियो द्वारा पुलिस खेरोदा को दी गई। पुलिस द्वारा उचित मुल्य दुकान के तीनो गोदामो को चीट चस्पा किया गया। बाद में पुलिस के रूबरू प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सेन्टर की जॉच की गई। तीनो गोदामो में विस्तृत केरोसीन व गेहूॅ का सत्यापन करने पर पाया कि उचित मुल्य दुकान पर 71 क्विंटल गेहूॅ तथा 239 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। थोक विक्रेता के प्रतिनिधि द्वारा भी गेहूॅ को लाने एवं खाली करने में उसकी संलिप्तता साबित पाये जाने से उसके विरूद्ध अलग से कार्यवाही की गई। उचित मुल्य दुकानदार अपीलान्ट द्वारा निरीक्षण में भी सहयोग नहीं किया गया। मौके पर उसका पुत्र प्रवीण टांक की उपस्थिति में दुकानो का निरीक्षण किया गया। प्रवीण टांक को पुछने पर उसने बताया कि पिता किसी कार्य से बाहर गये हैं। निरीक्षण में उचित मुल्य दुकानदार

बाबुलाल टांक, सेन्टर भटेवर बी द्वारा की गई अनियमितताऍ पायी गई। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 (2) 6 व 7 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11 व 18 का उल्लंघन किया गया हैं। अपीलान्ट का उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या राशन सामग्री वितरण की गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध थाना खेरोदा में एफआईआर संख्या 169/16 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी खेरोदा द्वारा चार्टशीट संख्या 20/17 दिनांक 27.02.17 से अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ईसीएक्ट एवं धारा 407, 120 बी भादसं का अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट कता की जाकर पेश की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रदान किया गया है वह आदेश कानुन सम्मत होने से यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध ग्रामीणो द्वारा शिकायत थाना खेरादा में किये जाने पर थानाधिकारी खेरोदा की सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक के दल द्वारा अपीलान्ट के सेन्टर भटेवर बी के तीनो गोदामो की जॉच करने पर रेकार्ड के मुकाबले 71 क्विंटल गेहूॅ 239 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अनियमितता किया जाना पाये जाने से उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना खेरोदा में दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी खेरोदा द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 169/16 पर विस्तृत अनुसंधान करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ईसीएक्ट व धारा 407, 120बी भादसं. का प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट संख्या 20/17 दिनांक 27.07.17 कता की जाकर प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वितरण व्यवस्था में गम्भीर अनियमितता किया जाना पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश

1976 के खण्ड 8 के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर